>

Title: Need to appoint judges in High Court in Jammu and Kashmir.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, आपकी परमीशन से मैं सदन में बताना चाहता हूं कि हमारी रियासत जम्मू-काश्मीर में दो हाई-कोर्ट्स हैं, एक जम्मू में और एक काश्मीर में है। वहां जो एक कोर्ट की स्ट्रेंथ ऑफ जजेस होती है, वह 13 है। हमारे जम्मू में इस समय सिर्फ छ: जज हैं। इस समय जम्मू में हाई-कोर्ट मेस बनी है, वहां लोगों के डिसीजन, अपीलें और लोगों के जो फैसले होने हैं, वे विचाराधीन पड़े हैं।

सभापति महोदय, मेरा कहने का मकसद यह है कि वे लोग परेशान हैं, जिन्होंने कई दिनों से अपनी दरख्वास्तें कागज देकर, वकील करके रखे हैं। कई लोगों की बहुत सालों से जमानतें नहीं हो रहीं। कई लोग ऐसे हैं, जिनके अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुए, ऐसे ही पड़े हैं।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि ये उन लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफी है, वे लोग हाई-कोर्ट में अपनी कोई भी मांग रखने और अपना केस लड़ने के लिए जाते हैं। हम लॉ मिनिस्टर साहब से कहना चाहेंगे कि वे मेहरबानी करके हमारे जो हाई-कोर्ट के जजेस यहां से लगने होते हैं, उन्हें लगाया जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल पाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद, जयहिन्द।